फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
जेठाराम पुत्र रणछोड़ाराम जाति जाट, निवासी रामदेरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा(06)		तहसीलदार शिव जरिये राजस्थान सरकार वगैरा (10)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 131, 136) मुकदमा नम्बर 165 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.2023	प्रार्थी / वादी / अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह सिहाग ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 26.06.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	रजिस्टर्ड डाक 3020-3029 09.06.2023
26.6.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी / विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित / अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 12.7.23 को पेश हो।	
12.7.23	श्रीमान पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 18.8.23 को पेश हो।	
18.8.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण, इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 18.9.23 को पेश हो।	
18.9.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 17.11.23 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:55:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित, पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि० 04.02.26 को पेश हो।
04.02.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। TDR शिव से मौका रिपोर्ट प्राप्त। चूंकि TDR शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान् द्वारा पूर्व में प्रशासन गांवों के संग अभियान में आपसी सहमति से तरमीम दुरुस्ती कार्रवाई हो चुकी है। अतः विवादित प्रणाली के संबंध में चाहा गया अनुतोष पक्षकारान् को पूर्व में प्राप्त हो जाने से उक्त पत्रावली आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त स्थिति में उक्त आवेदन का कोई औचित्य नहीं होने से आवेदन इसी स्टेज [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] नक्शा से कम होकर दाखिल [illegible] किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:55:12 IST
Reason: SelfAttested